

जनपद की विभिन्न थाना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र सहित व थाना मुजरिया पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा0 श्री ओ0पी0 सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध / अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08-08-2022 को थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कछला रेलवे पुल से 200 कदम पहले कछला घाट से अभियुक्त अरविन्द पुत्र विशाल सिंह यादव नि0 लोचीनंगला थाना कोतवाली बदायूँ को एक अवैध तमंचा 315 बोर दो कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 545/22 धारा 3/25 A ACT बनाम अरविन्द उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियुक्त कुलदीप यादव पुत्र विशेष पाल उर्फ कल्लू यादव निवासी फिरोजपुर इकलहरी थाना सिविल लाइन को मय एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर समेत गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 481/2022 धारा 3/25(1-बी)(ए) एक्ट अभियुक्त कुलदीप यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त हृदेश उर्फ अन्नू पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम राजपुर रोशन नगर थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस 315 बोर समेत गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में स्थानीय थाना पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्याय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

उक्त के क्रम में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण/रोकथाम एवं गोकशी अपराधी की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.08.2022 को थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में प्रकाश में आए अभियुक्त आफाक हुसैन पुत्र स्वर्गीय अंसार हुसैन निवासी नेथुआ थाना मुजरिया जिला बदायूँ को थाना मुजरिया पुलिस द्वारा दिनांक 07.08.022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नेथुआ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।